



Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)

Corporate ID no.U40101UR2004GOI028675

Vidyut Bhawan Near ISBT Corssing, Saharanpur Road, Majra, Dehradun-248002

Phone no.:0135-2642006 Fax no. 01352643460

PUBLIC NOTICE

Inviting Comments on the petition filed by SLDC for approval of the Annual Performance Review for FY 2019-20 and Revised Aggregate Revenue Requirement for FY 2020-21

Salient Points of the ARR/ Tariff Petition

State Load Despatch Centre, which has been made operational for grid control and despatch of electricity and other related works w.e.f. November 27, 2012 in the State of Uttarakhand, has filed a petition before the Commission for approval of the Annual Performance Review for FY 2019-20 and Revised Aggregate Revenue Requirement for FY 2020-21. The summary of SLDC for the aforesaid is given in the following Table:

Summary of APR and ARR of SLDC (₹Crore)

S. No	Particulars	FY 2019-20 (APR)		FY 2020-21(ARR)	
		Approved in the MYT Order for FY 2019-20	Revised Estimates	Approved in the MYT Order for FY 2020-21	Revised Estimates
1	Depreciation	1.39	1.72	1.38	3.67
2	Interest on Long Term Loans	0.26	1.67	0.10	4.16
3	Return on Equity	0.58	1.34	0.58	2.92
4	O&M Expenses	8.59	9.70	12.62	12.85
5	Interest on Working Capital	0.54	0.65	0.76	0.97
6	Gross Expenditure	11.35	15.09	15.44	24.57
7	Less: Non-tariff Income	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Net Expenditure	11.35	15.09	15.44	24.57

- SLDC has proposed a total hike of 116.48% for FY 2020-21 over the approved SLDC charges for FY 2019-20. In case, the entire claim of SLDC is accepted by the Commission, additional hike of 0.13% in consumer tariff shall be required over and above the hike proposed by UPCL. The recovery of the charges from the beneficiaries has been proposed through suitable fees and charges.
- Detailed proposal can be seen free of cost on any working day at the Commission's office or at the office of Managing Director, Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited, Vidyut Bhawan, Saharanpur Road, Majra, Near ISBT, Dehradun-248001, Uttarakhand. Relevant extracts can also be obtained from the above mentioned offices of the Petitioner.
- The proposals are also available at the website of the Commission (www.uerc.gov.in) and at SLDC's website (www.ukslde.in).
- Objections/suggestions are invited from the consumers and other stakeholders on the above proposal. These may be sent to the the Secretary, Uttarakhand Electricity Regulatory Commission, either in person, or by post at Vidyut Niyamak Bhawan, Near I.S.B.T., P.O.-Majra Dehradun-248171 or through e-mail to secy.uerc@gov.in as a statement of objections or comments with copies of the documents and evidence in support thereof so as to reach the Secretary by 31.01.2020.

Managing Director

Letter No. 312 /SLDC

Dated: 23.12.2019

"Save Electricity in the Interest of Nation"



सार्वजनिक सूचना

वित्तीय वर्ष 2019-20 का वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2020-21 तक के लिए संशोधित सकल राजस्व आवश्यकता (Revised Aggregate Revenue Requirement) की स्वीकृति हेतु एस०एल०डी०सी० की याचिका पर विचार आमंत्रित किये जाते हैं

एआरआर/टैरिफ याचिका के मुख्य बिन्दु:-

प्रान्तीय भार निस्तारण केन्द्र (एस०एल०डी०सी०) देहरादून जिसे उत्तराखण्ड राज्य में 27 नवम्बर, 2012 से ग्रिड नियंत्रण, विद्युत निस्तारण एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों का संचालन कर रही है, ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 तक के लिए संशोधित सकल राजस्व आवश्यकता (Revised Aggregate Revenue Requirement) के अनुमोदन हेतु माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की है। उपरोक्त वित्तीय वर्षों हेतु एस०एल०डी०सी० द्वारा प्रस्तावित मागों का सारांश निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:-

एसएलडीसी के एपीआर और एआरआर का सारांश (रु० करोड में)

क्र० स०	मद	वित्तीय वर्ष 2019-20 (एपीआर)		वित्तीय वर्ष 2020-21 (एआरआर)	
		वित्तीय वर्ष 2019-20 के बहु-वर्षीय टैरिफ (MYT) आदेश में स्वीकृत	पुनरीक्षित आंकलन	वित्तीय वर्ष 2020-21 के बहु-वर्षीय टैरिफ (MYT) के आदेश में स्वीकृत	पुनरीक्षित आंकलन
1	अवक्षयण	1.39	1.72	1.38	3.67
2	दीर्घावधि ऋण पर ब्याज	0.26	1.67	0.10	4.16
3	इक्विटी पर प्रत्यागम	0.58	1.34	0.58	2.92
4	संचालन एवं अनुरक्षण व्यय	8.59	9.70	12.62	12.85
5	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	0.54	0.65	0.76	0.97
6	कुल व्यय	11.35	15.09	15.44	24.57
7	घटाया: नॉन टैरिफ आय	0.00	0.00	0.00	0.00
8	शुद्ध व्यय	11.35	15.09	15.44	24.57

1. प्रान्तीय भार निस्तारण केन्द्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु स्वीकृत व्यय के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल प्रस्तावित वृद्धि 116.48 % की गयी है। यदि एस०एल०डी०सी० का सम्पूर्ण दावा आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो उपभोक्ता टैरिफ में उपाकालि द्वारा प्रस्तावित वृद्धि से ऊपर 0.13 % की अतिरिक्त वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ेगी। उपयुक्त फीस और शुल्क के माध्यम से लाभार्थियों से वसूली प्रस्तावित की गई है।
2. विस्तृत याचिका किसी भी कार्य दिवस में आयोग के कार्यालय अथवा प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, विद्युत भवन, माजरा निकट आईएसबीटी, देहरादून-248001, उत्तराखण्ड के कार्यालय पर निःशुल्क देखी जा सकती है। याचिका से सम्बन्धित प्रपत्र याचिकाकर्ता के उपर्युक्त वर्णित कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।
3. उक्त याचिका के समस्त प्रस्ताव आयोग की वेबसाईट (www.uerc.gov.in) एवं याचिकाकर्ता की वेबसाईट (www.ukslc.in) पर भी उपलब्ध है।
4. उक्त प्रस्तावों पर उपभोक्ताओं एवं अन्य हित धारकों की आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। इन प्रतिक्रियाओं/सुझावों को व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा सचिव उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन आई०एस०बी०टी० के पास पो०ओ०-माजरा देहरादून-248171 में अथवा ई-मेल secy.uerc@gov.in पर प्रतिक्रियाओं/टिप्पणियों का विवरण के प्रारूप में तथा साथ ही सम्बन्धित दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र सहित दिनांक 31.01.2020 तक भेजे जा सकते हैं।

प्रबन्ध निदेशक

दिनांक: 23.12.2019

पत्रांक 312 / प्रा०भा०नि०के०/

"राष्ट्रहित मे बिजली बचाये"